

भारत नरिवाचन आयोग ने हरयाणा में भरती के परणाम रोके

चर्चा में क्यों?

[भारत नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) ने हरयाणा में चल रही भरती प्रक्रियाओं के परणामों की घोषणा पर **वधिनसभा चुनाव** संपन्न होने तक रोक लगा दी है।

मुख्य बदि

- **भरती ववरण:** प्रभावति भरतियों में हरयाणा पुलसि में **कांस्टेबलों के पद**, **हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)** द्वारा **प्रशकषति सनातक शकषक (TGT)** और **शारीरिक प्रशकषण प्रशकषक (PTI)** के पद तथा **हरयाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)** द्वारा वभिन्न पद शामिल हैं।
- **रोक का कारण:** यह नरिणय वपिकषी पार्टी की ओर से **आदर्श आचार संहति (MCC)** के उल्लंघन की शकियत के बाद लया गया।
- **आयोग के नषिकर्ष:** ECI ने नरिधारति कया कभरती प्रक्रयाओं में **MCC** का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योकवे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू कयि गए थे।
 - हालाँकि नषिकषता और समान अवसर बनाए रखने के लयि, चुनाव प्रक्रया पूरी होने तक परणाम जारी नहीं कयि जाएंगे।

हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)

- **हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी नकिया है जो हरयाणा सरकार के वभिन्न वभिगों और अधीनस्थ कारयालयों में गुरुप बी, सी तथा डी के पदों हेतु कर्मचारियों की भरती के लयि ज़मिमेदार है।**

भारत नरिवाचन आयोग

- **परचिय:**
 - **भारत नरिवाचन आयोग (ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधकिरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रयाओं के प्रशासन हेतु ज़मिमेदार है।
 - इसकी स्थापना संवैधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जसे राष्ट्रिय मतदाता दविस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचवालय नई दलिली में है।
 - यह नकिया भारत में **लोकसभा, राज्यसभा और राज्य वधिनसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति** के पदों के लयि चुनावों का संचालन करता है।
 - इसका राज्यों में **पंचायतों और नगर पालकियों** के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लयि भारत के संवैधान में अलग से **राज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधति है और इन मामलों के लयि एक आयोग की स्थापना करता है।

आदर्श आचार संहति (MCC)

- **आदर्श आचार संहति** एक आम सहमतिवाला दस्तावेज़ है। राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नयितरण रखने और आचार संहति के दायरे में काम करने पर सहमतिजिताई है।
- यह **नरिवाचन आयोग को संवैधान के अनुच्छेद 324 के तहत दयि गए अधदिश के अनुरूप कार्य करने** में सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य वधिनसभाओं के स्वतंत्र तथा नषिकषण चुनावों का पर्यवेक्षण करने एवं उन्हें संचालति करने की शक्ति प्रदान करता है।
- आदर्श आचार संहति **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर** परणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहति है।
- संहति के प्रभावी रहने के दौरान सरकार कसी भी वतितीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुवधियों के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती तथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिकृति नहीं कर सकती।

